शहीद महेन्द्र कर्मा विश्वविद्यालय, बस्तर
धरमपुरा–2, जगदलपुर, जिला–बस्तर, छत्तीसगढ़, भारत पिनकोड 494001
Shaheed Mahendra Karma Vishwavidyalaya, Bastar
Dharampura-2, Jagdalpur, Distt.-Bastar, Chhattisgarh, India, Pincode 494001
TelePhone 07782-229037, Fax 07782-229037, Website: www.bvvjdp.ac.in

क्रमांक /722/अका./कार्यपरिषद/2022 जगदलपुर, दिनांक 06/08/2022

//कार्यपरिषद बैठक का कार्यवाही विवरण//

शहीद महेन्द्र कर्मा विश्वविद्यालय, बस्तर जगदलपुर के कार्यपरिषद की 41वीं बैठक दिनांक 05.08.2022 को अपरान्ह 12.00 बजे विश्वविद्यालय के सभाकक्ष में आहूत की गई। कोविड–19 के नियंत्रण हेतु शासन/प्रशासन द्वारा जारी सभी प्रोटोकाल एवं निर्देशों का पालन करते हुए बैठक में निम्नलिखित सदस्य उपस्थित हुए तथा शेष निम्नलिखित सदस्य विडियो कॉन्फ्रेसिंग (Google Meet App) के माध्यम से बैठक में सम्मिलित हुए :–

बैठक में उपस्थित सदस्य

1. प्रोफेसर (डॉ.) शैलेन्द्र कुमार सिंह, — पदेन अध्यक्ष
   कुलपति, शहीद महेन्द्र कर्मा विश्वविद्यालय, बस्तर, जगदलपुर
2. श्री चंदन कश्यप, — सदस्य
   माननीय विधायक, निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक 84–नारायणपुर
3. श्री कमलाकर सिंह, पूर्व कुलपति, — सदस्य
   भोज मुक्त विश्वविद्यालय, भोपाल, निवासी–ई–3/22, नुपुर कुंज, अरेरा कालोनी, भोपाल
4. श्री अरविंद नेताम, पूर्व केन्द्रीय मंत्री, भारत सरकार, — सदस्य
   कुम्हार पारा, जगदलपुर जिला बस्तर
5. डॉ. टी.आर. रात्रे, प्राचार्य, — सदस्य
   शासकीय नवीन महाविद्यालय, तोकापाल।
6. डॉ. चेतन राम पटेल, प्राचार्य, — सदस्य
   शासकीय गुण्डाधूर स्नातकोत्तर महाविद्यालय, कोण्डागॉव।
7. श्री धीरज नशीने, संभागीय संयुक्त संचालक, — सदस्य
   छत्तीसगढ़ कोष, लेखा एवं पेंशन संभागीय कार्यालय, जगदलपुर
8. श्री ईश्वर प्रसाद तिवारी, संकायाध्यक्ष, शिक्षा एवं विधि संकाय, — सदस्य
   प्राचार्य, श्री वेदमाता गायत्री शिक्षा महाविद्यालय, जगदलपुर बस्तर।
9. डॉ. विनोद कुमार पाठक, — पदेन सचिव
   कुलसचिव, शहीद महेन्द्र कर्मा विश्वविद्यालय, बस्तर, जगदलपुर

गूगल मीट के माध्यम से सम्मिलित सदस्य

10. श्रीमती राजलक्ष्मी सेलट, — सदस्य
    विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, उच्च शिक्षा विभाग
11. डॉ. सरला आत्राम, प्राचार्य, — सदस्य
    शासकीय महाविद्यालय, सरोना।
12. श्री राजेश चौहान, क्रिकेटर, — सदस्य
    एम.आई.जी., सी–2338, एम.पी.एच.बी. कालोनी, इंडस्ट्रियल स्टेट, भिलाई (छ.ग.)
13. पद्मश्री अनूप रंजन पाण्डेय, — सदस्य
    एच–15, सेलटैक्स कालोनी, खम्हारडीह, शंकर नगर, रायपुर (छ.ग.)
14. डॉ. आर.के. हिरकने, संकायाध्यक्ष, वाणिज्य एवं प्रबंध सूचना प्रौद्योगिकी संकाय, — सदस्य
    प्राध्यापक (वाणिज्य), शासकीय दन्तेश्वरी स्नातकोत्तर महाविद्यालय, दन्तेवाड़ा
15. डॉ. के. इंदिरा संकायाध्यक्ष, विज्ञान एवं जीव विज्ञान संकाय, — सदस्य
    प्राध्यापक (रसायन शास्त्र) शासकीय काकतीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, जगदलपुर
16. डॉ. ए.के.दीक्षित, प्राध्यापक (राजनीति विज्ञान) एवं — सदस्य
    संकायाध्यक्ष, सामाजिक विज्ञान एवं कला संकाय,
    शासकीय इन्द्रावती महाविद्यालय, भोपालपट्नम, बीजापुर

06 AUG 2022

विषय क्रमांक – 1 (विश्वविद्यालय के अकादमिक विभाग का प्रस्ताव)

विश्वविद्यालय कार्यपरिषद की 40वीं बैठक दिनांक 14.07.2022 के कार्यवृत्त को सम्पुष्टि प्रदान करना।

निर्णय :–

सम्पुष्टि प्रदान की गई। पूर्व बैठक में 65 नग कम्प्यूटर के भुगतान के संबंध में लिए गए निर्णय पर कार्यपरिषद सदस्य श्री कमलाकर सिंह द्वारा विचार व्यक्त किया गया कि वैसे तो पूर्व में निर्णय लिया जा चुका है। माननीय कुलाधिपति विश्वविद्यालय के मुखिया होते हैं। उनके द्वारा स्पष्ट निर्देश दिया गया था परंतु राजभवन द्वारा गठित जॉच समिति के जॉच प्रतिवेदन को कार्यपरिषद में रखकर भुगतान की प्रक्रिया की जाय। पिछली बैठक में छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 की धारा–10 के अनुसार विगत बैठक में कार्यपरिषद ने इसे छ.ग.शासन, उच्च शिक्षा विभाग के माध्यम से महाधिवक्ता कार्यालय एवं महालेखाकार को अभिमत हेतु प्रेषित करने का निर्णय लिया गया है, परंतु मेरा मत है कि इसे अभिमत हेतु महाधिवक्ता कार्यालय एवं महालेखाकार को भेजने के पूर्व माननीय कुलाधिपति को भेजकर मार्गदर्शन प्राप्त किया जाना चाहिये था। श्री अरविन्द नेताम द्वारा मत व्यक्त किया गया कि कार्यपरिषद की पूर्व बैठक में लिए गये निर्णयानुसार कार्यवाही उचित है। भविष्य में यदि भुगतान करने की स्थिति निर्मित होती है तो किसी प्रकार वित्तीय अनियमित्ता एवं आडिट आपत्ति न हो।

विषय क्रमांक – 2 (विश्वविद्यालय के अकादमिक विभाग का प्रस्ताव)

विश्वविद्यालय कार्यपरिषद की 40वीं बैठक दिनांक 14.07.2022 के कार्यवृत्त का पालन प्रतिवेदन को कार्यपरिषद के पटल पर रखना।

निर्णय :–

पालन प्रतिवेदन की सम्पुष्टि प्रदान की गई। कार्यपरिषद सदस्य श्री कमलाकर सिंह द्वारा विचार व्यक्त किया गया कि निर्णयों का पालन करने संबंधी अभिलेख यथा अधिसूचना, आदेश, प्रतिवेदन आदि भी पटल पर रखे/एजेण्डा प्रस्ताव के साथ उपलब्ध कराया जावे।

विषय क्रमांक – 3 (विश्वविद्यालय के स्थापना/प्रशासन विभाग का प्रस्ताव)

डॉ. स्वपन कुमार कोले, प्राध्यापक, मानव विज्ञान एवं जनजातीय अध्ययनशाला के विरूद्ध छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 के अनुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही किये जाने के संबंध में।

विभागीय टीप :–

शहीद महेन्द्र कर्मा विश्वविद्यालय, बस्तर, जगदलपुर के कार्यपरिषद की 40वीं बैठक दिनांक 14.07.2022 के कार्यवाही विवरण के विषय क्र. 07 में डॉ. स्वपन कुमार कोले, प्राध्यापक, मानव विज्ञान एवं जनजातीय अध्ययनशाला के विरूद्ध छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 के अनुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही किये जाने का निर्णय लिया गया है।

छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर के पत्र क्र. एफ–16–1/2022/38–2/नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 15.06.2022 में दिये गये निर्देश एवं उपरोक्तानुसार कार्यपरिषद के निर्णयानुसार डॉ. स्वपन कुमार कोले, प्राध्यापक, मानव विज्ञान एवं जनजातीय अध्ययनशाला के विरूद्ध छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 के अधीन निर्मित परिनियम–31 के भाग–5 अंतर्गत कण्डिका–57(2) के अनुसार तथा छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 के नियम–14 के तहत विभागीय जांच संस्थित करने का निर्णय लिया जाकर जिन अवचार या कदाचार के लांछनों पर विभागीय जांच प्रस्तावित है, उसकी विषय वस्तु, प्रत्येक आरोप के समर्थन में अवचार या कदाचार के लांछनों का विवरण, उन दस्तावेजों की सूची जिसके आधार पर तथा उन साक्षियों की सूची जिनके द्वारा आरोपों को प्रमाणित किया जाना प्रस्तावित है, संलग्न करते हुए आरोप पत्र क्रमांक 324/570/सा. प्रशा./स्था./2022/जगदलपुर, दिनांक 25.07.2022 जारी किया गया है, जिसे डॉ. स्वपन कुमार कोले द्वारा व्यक्तिशः दिनांक 26.07.2022 को प्राप्त कर पावती प्रदान किया गया है।

06 AUG 2022

उपरोक्तानुसार प्रकरण में की गई कार्यवाही कार्यपरिषद के समक्ष सूचनार्थ प्रस्तुत है। साथ ही प्रकरण में विभागीय जांच की आगामी कार्यवाही हेतु जांचकर्ता अधिकारी एवं प्रस्तुतकर्ता अधिकारी नियुक्त करने के संबंध में निर्णय हेतु तथा चूंकि डॉ. स्वपन कुमार कोले, प्राध्यापक, मानव विज्ञान एवं जनजातीय अध्ययनशाला के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही किया जाना प्रस्तावित है, को दृष्टिगत रखते हुए छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 के नियम–9 के अनुसार आवश्यक कार्यवाही करने के संबंध में निर्णय हेतु प्रकरण कार्यपरिषद के समक्ष प्रस्तुत है।

निर्णय :–

आरोप पत्र जारी किये जाने की सूचना ग्रहण की गई। विभागीय जांच की आगामी कार्यवाही हेतु कुलपति महोदय को पूर्व बैठक में अधिकृत किया गया है। अतः जांचकर्ता अधिकारी एवं प्रस्तुतकर्ता अधिकारी नियुक्त कर विभागीय जॉच की कार्यवाही पूर्ण होने पश्चात् जॉच प्रतिवेदन कार्यपरिषद की बैठक में प्रस्तुत किया जावे।

विषय क्रमांक – 4 (विश्वविद्यालय के स्थापना/प्रशासन विभाग का प्रस्ताव)

स्थापना/प्रशासन एवं वित्त विभाग में अधिकारियों/कर्मचारियों के बैठक व्यवस्था हेतु एल्यूमिनियम–ग्लास पार्टिशन लोक निर्माण विभाग के माध्यम से प्राक्कलन प्राप्त कर कराये जाने के संबंध में।

विभागीय टीप :–

शहीद महेन्द्र कर्मा विश्वविद्यालय, बस्तर, जगदलपुर के प्रशासनिक भवन स्थित स्थापना/प्रशासन एवं वित्त विभाग में कार्यालयीन, प्रशासनिक व्यवस्थांतर्गत अधिकारियों/कर्मचारियों के बैठक व्यवस्था हेतु एल्यूमिनियम, ग्लास पार्टिशन कराया जाना प्रस्तावित है। उक्त कार्य लोक निर्माण विभाग के माध्यम से प्राक्कलन प्राप्त कर विश्वविद्यालय के परीक्षा/विकास मद से कराये जाने हेतु प्रकरण माननीय कार्यपरिषद के समक्ष निर्णय हेतु प्रस्तुत है।

निर्णय :–

उक्त कार्य हेतु प्रकरण भवन समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाकर आगामी कार्यपरिषद में प्रस्तुत किया जाये।

विषय क्रमांक – 5 (विश्वविद्यालय के ग्रंथालय विभाग का प्रस्ताव)

अकादमिक भवन के प्रथम तल के छत मरम्मत लोक निर्माण विभाग के माध्यम से प्राक्कलन प्राप्त कर प्राक्कलन अनुसार विश्वविद्यालय मद से कराये जाने के संबंध में।

विभागीय टीप :–

शहीद महेन्द्र कर्मा विश्वविद्यालय, बस्तर, जगदलपुर के अकादमिक भवन के प्रथम तल में ग्रंथालय विभाग को स्थानांतरित किया गया है। वर्तमान में वर्षा ऋतु के समय लगातार पानी गिरने से छत से निरंतर पानी टपकने के कारण ग्रंथालय की पुस्तक खराब हो रही है तथा दीवाल में सीपेज होने से कभी भी शार्ट सर्किट से होने वाले दुर्घटना को दृष्टिगत रखते हुए उक्त छत का आवश्यक मरम्मत लोक निर्माण विभाग के माध्यम से प्राक्कलन प्राप्त कर विश्वविद्यालय मद से कराये जाने हेतु प्रकरण माननीय कार्यपरिषद के समक्ष निर्णय हेतु प्रस्तुत है।

निर्णय :–

उक्त कार्य हेतु प्रकरण भवन समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाकर आगामी कार्यपरिषद में प्रस्तुत किया जाये।

06 AUG 2022

विषय क्रमांक – 6 (विश्वविद्यालय के ग्रंथालय विभाग का प्रस्ताव)

ग्रंथालय की सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुए बरामदे के ओपन स्पेस में लोहे के ग्रिल एवं लोहे का गेट लोक निर्माण विभाग के माध्यम से प्राक्कलन प्राप्त कर प्राक्कलन अनुसार विश्वविद्यालय मद से कराये जाने के संबंध में।

विभागीय टीप :–

शहीद महेन्द्र कर्मा विश्वविद्यालय, बस्तर, जगदलपुर के अकादमिक भवन के प्रथम तल में ग्रंथालय विभाग को स्थानांतरित किया गया है। ग्रंथालय में रखे प्रलेखों एवं विश्वविद्यालय में अध्ययनरत छात्र–छात्राओं की सरुक्षा को दृष्टिगत रखते हुए बरामदे के ओपन स्पेस में लोहे के ग्रिल एवं लोहे का गेट लोक निर्माण विभाग के माध्यम से प्राक्कलन प्राप्त कर विश्वविद्यालय मद से कराये जाने हेतु प्रकरण माननीय कार्यपरिषद के समक्ष निर्णय हेतु प्रस्तुत है।

निर्णय :–

उक्त कार्य हेतु प्रकरण भवन समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाकर आगामी कार्यपरिषद में प्रस्तुत किया जाये।

विषय क्रमांक – 7 (विश्वविद्यालय के ग्रंथालय विभाग का प्रस्ताव)

विश्वविद्यालय ग्रंथालय का विस्तार किया जाना आवश्यक है वर्तमान में ग्रंथालय में प्रलेखों को रखे जाने हेतु पर्याप्त जगह नहीं हो पाने के कारण प्रलेखों को टेबल पर रखा जा रहा है। आने वाले सत्र में नये विषय/पुराने विषय के पाठ्यक्रम से संबंधित पुस्तकों को मंगाये जाने पर उन्हें रखने के लिए पर्याप्त जगह नहीं हो पायेगी। अतः विश्वविद्यालय ग्रंथालय का विस्तार किया जाना आवश्यक है।

विभागीय टीप :–

विश्वविद्यालय ग्रंथालय भवन निर्माण किये जाने हेतु पुनरीक्षित प्राक्कलन सहित प्रस्ताव शासन को प्रस्तावित है, जो प्रक्रियाधीन है।

निर्णय :–

उक्त कार्य हेतु प्रकरण भवन समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाकर आगामी कार्यपरिषद में प्रस्तुत किया जाये।

विषय क्रमांक – 8

अध्यक्ष की अनुमति से अन्य विषय

विषय क्रमांक – 1 (विश्वविद्यालय के विकास विभाग का प्रस्ताव)

नवनिर्मित ट्रांजिट हास्टल हेतु आवश्यक सामग्री क्रय के लिए अनुमानित लागत राशि रू. 5.00 लाख व्यय की स्वीकृति हेतु प्रस्ताव विचारार्थ प्रस्तुत।

विभागिय टीप :–

नवनिर्मित ट्रांजिट हास्टल के VVIP एवं VIP कमरों में आगन्तुकों की सुविधा को दृष्टिगत रखते हुए निम्नानुसार सामग्री क्रय करने की आवश्यकता है :–

06 AUG 2022

क्र.	सामग्री का नाम	क्रय योग्य मात्रा/नग
1	2	3
1	टी.व्ही. 43 इंच (सोनी/सैमसंग 5 स्टार)	06 नग
2	गीजर दस लीटर (Havells/ Cromton)	06 नग
3	वाटर हीटर 1.5 लीटर Prestige	06 नग
4	एक्वा गार्ड 5 लीटर	06 नग
5	आलमीरा	01 नग
6	चादर 4 x 6	10 नग
7	कंबल 4 x 6	15 नग
8	बेडशीट 6 x 6	10 नग
9	पंलग (फोल्डिंग) 4 x 6	02 नग
10	गद्दा 6 x 6	04 नग
11	गद्दा 4 x 6	02 नग
12	बाल्टी	06 नग
13	मच्छरदानी पाइप सेट (सभी कमरो के लिए)	आवश्यतानुसार
14	मच्छरदानी कॉटन (सभी कमरो के लिए)	आवश्यतानुसार
15	आईना	10 नग
16	दीवाल हेंगर	20 नग
17	तकिया	12 नग
18	परदा (सभी कमरों हेतु)	आवश्यतानुसार
19	परदा पाईप (सभी कमरों हेतु)	आवश्यतानुसार
20	कुर्सी	24 नग
21	सेंटर टेबल	06 नग
22	रेक	08 नग

उक्त सामग्री का क्रय सी.एस.आई.डी.सी./ई–मानक दर पर एवं कोटेशन के माध्यम से क्रय किया जा सकता है। जिसका अनुमानित व्यय भार राशि रू. 5.00 लाख तक हो सकती है। अतः विश्वविद्यालय मद से उक्त सामग्री क्रय किये जाने हेतु प्रकरण माननीय कार्यपरिषद के समक्ष निर्णय हेतु प्रस्तुत है।

निर्णय :–

उक्त सामग्री क्रय हेतु प्रस्ताव क्रय समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाकर आगामी कार्यपरिषद में प्रस्तुत किया जाये।

विषय क्रमांक – 2 (विश्वविद्यालय के भण्डार शाखा का प्रस्ताव)

विभिन्न विभागों के लिए ऑल इन वन कम्प्यूटर्स, प्रिंटर्स, स्केनर CSIDC/E-Manak से क्रय करने की अनुमति सह अनुमानित लागत रू. 25.00 लाख (पच्चीस लाख) अनुमोदन हेतु।

विभागिय टीप :–

विश्वविद्यालय के विभिन्न विभागों, अधिकारियों, शिक्षकों एवं कर्मचारियों के लिए 20 नग ऑल इन वन कम्प्यूटर्स, 15 नग मल्टीकलर प्रिंटर्स, 05 नग स्केनर की आवश्यकता है। कार्यालयीन एवं शैक्षणिक गतिविधियों के सुचारू संचालन हेतु विश्वविद्यालय के बजट स्वीकृति के अनुसार CSIDC/E-Manak से उपलब्धता के आधार पर क्रय किया जा सकता है। संबंधित क्रय योग्य सामग्रियों की स्पेशिफिकेशन कम्प्यूटर अध्ययनशाला के शिक्षकों से प्राप्त किया जावेगा। केन्द्रीय क्रय समिति की बैठक दिनांक 04/08/2022 में अनुशंसा किया गया है। उक्त समस्त सामग्रियों की अधिकतम लागत रू. 25.00 लाख (पच्चीस लाख) तक होने का अनुमान है। अनुमोदन की प्रत्याशा में विषय प्रस्तुत है।

06 AUG 2022

निर्णय :–

क्रय समिति की अनुशंसा अनुसार छ.ग. शासन के भण्डार क्रय नियम के अनुसार प्रक्रियाओं का पालन करते हुए बजट प्रावधान एवं क्रय हेतु राशि की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए यथाप्रस्तावित सामग्री क्रय करने की स्वीकृति दी गई।

विषय क्रमांक – 3 (विश्वविद्यालय के स्थापना/प्रशासन विभाग का प्रस्ताव)

सहायक प्राध्यापक (संविदा) एवं व्याख्याता (संविदा) नियुक्ति हेतु वि.वि. विनियम 116 के नियम 7 में संशोधन किये जाने के संबंध में।

विभागिय टीप :–

शहीद महेन्द्र कर्मा विश्वविद्यालय, बस्तर, जगदलपुर के विनियम क्रमांक–116 ''शहीद महेन्द्र कर्मा विश्वविद्यालय, बस्तर, जगदलपुर में रिक्त शैक्षणिक पदों पर (संविदा नियुक्ति) विनियम, 2022'' कार्यपरिषद की 39वीं बैठक दिनांक 27.05.2022 में सर्वसम्मति से पारित कर तैयार किया गया है। विनियम क्रमांक–116 के नियम 7 अनुसार ''विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों में शिक्षकों और अन्य शैक्षिक कर्मचारियों की नियुक्ति हेतु न्यूनतम अर्हता तथा उच्चतर शिक्षा में मानकों के रखरखाव हेतु अन्य उपाय संबंधी विनियम, 2018) एवं समय–समय पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा उक्त विनियम में किये गये संशोधन में शैक्षणिक पद यथा–प्राध्यापक, सह प्राध्यापक, सहायक प्राध्यापक एवं व्याख्याता आदि पर भर्ती हेतु चयन समिति गठित किये जाने संबंधी प्रावधान अनुसार समिति का गठन नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा किया जावेगा।'' विनियम क्रमांक–116 के नियम 7 प्रावधानानुसार यू.जी.सी. रेग्यूलेशन, 2018 के नियम 5.1 (I) (II) अनुसार चयन समिति गठन हेतु 01 सदस्य माननीय कुलाधिपति द्वारा नाम निर्देशित सदस्य रखे जाने का प्रावधान है।

विनियम क्रमांक–116 के नियम 7 के उपरोक्त नियम को विलोपित करते हुए निम्नानुसार नियम प्रतिस्थापित किया जाना प्रस्तावित है:–

शहीद महेन्द्र कर्मा विश्वविद्यालय, बस्तर, जगदलपुर में रिक्त शैक्षणिक पदों पर (संविदा नियुक्ति) हेतु निम्नानुसार चयन समिति गठित किया जावेगा–

(I)	कुलपति या उनका नामिती, जिनके पास कम से कम दस वर्ष का आचार्य के रूप में अनुभव हो, समिति के अध्यक्ष होंगे।	–	अध्यक्ष
(II)	संबंधित संकाय का संकायाध्यक्ष/प्रभारी संकायाध्यक्ष	–	सदस्य
(III)	कुलपति द्वारा मनोनित संबंधित विषय का नियमित/ वरिष्ठ विषय विशेषज्ञ अथवा जहां नियमित शिक्षक उपलब्ध न हो किसी अन्य विषय का नियमित/ वरिष्ठ विषय विशेषज्ञ, जिसे नियुक्ति संबंधी नियम /चयन प्रक्रिया की जानकारी हो।	–	सदस्य
(IV)	अध्यक्ष सहित उपरोक्त दो सदस्यों में से अनुसूचित जाति /अनुसूचित जनजाति/ अन्य पिछड़ा वर्ग/ महिला प्रतिनिधि नहीं होने की स्थिति में इस वर्ग में से एक सदस्य, कुलपति द्वारा मनोनित	–	सदस्य
(V)	उपरोक्त समिति में अध्यक्ष एवं न्यूनतम दो सदस्यों तथा अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति/ अन्य पिछड़ा वर्ग/ महिला प्रतिनिधि की उपस्थिति अनिवार्य है।	–	सदस्य

उपरोक्तानुसार प्रस्ताव कार्यपरिषद के समक्ष अनुमोदन हेतु प्रस्तुत।

06 AUG 2022

निर्णय :–

चर्चा के दौरान संशोधित प्रस्ताव पटल पर प्रस्तुत किया गया। कार्यपरिषद सदस्य श्री धीरज नशीने, संयुक्त संचालक, संभागीय कार्यालय छ.ग. कोष लेखा एवं पेंशन द्वारा विचार रखा गया कि कार्यपरिषद की 39वीं बैठक दिनांक 27.05.2022 में सर्वसम्मति से पारित शहीद महेन्द्र कर्मा विश्वविद्यालय, बस्तर, जगदलपुर के विनियम क्रमांक–116 ''शहीद महेन्द्र कर्मा विश्वविद्यालय, बस्तर, जगदलपुर में रिक्त शैक्षणिक पदों पर (संविदा नियुक्ति) विनियम, 2022'' के कुछ प्रावधान छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (संविदा नियुक्ति) नियम 2012 के प्रावधान विशेषकर संविदा सेवा अवधि के अनुसार नहीं है। अतः विनियम 116 को निरस्त किया जाना चाहिए तथा विश्वविद्यालय में नियमित/संविदा भर्ती हेतु विनियम के स्थान पर अध्यादेश बनाया जाना चाहिए। परन्तु अन्य सदस्यों द्वारा श्री नशीने के विचार से सहमत नहीं हुए। कार्यपरिषद अध्यक्ष एवं कुलपति प्रोफेसर (डॉ.) शैलेन्द्र कुमार सिंह ने चर्चा के दौरान सदस्यों को जानकारी दी कि विश्वविद्यालय में पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर के प्रचलित विनियमों के अनुसार तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की नियमित भर्ती के लिए विनियम–91 बनाया गया है, जिसके आधार पर नियमित कर्मचारियों की नियुक्ति हुई है। वर्तमान में कार्यरत संविदा सहायक प्राध्यापकों की नियुक्ति एवं चयन प्रक्रिया भी पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर के प्रचलित विनियम–122 के अनुसार की गई है। अतः उपरोक्त दृष्टान्तों को दृष्टिगत रखते हुए इस विश्वविद्यालय के कार्यपरिषद के अनुमोदन से निर्मित एवं अधिसूचित विनियम–116 को निरस्त किया जाना उचित नहीं होगा तथा विनियम–116 के नियम–7 में उल्लेखित चयन समिति संबंधी प्रावधान को विलोपित कर संशोधित प्रस्ताव अनुसार प्रतिस्थापित किया जाना उचित है।

विनियम–116 के नियम–13(1) में उल्लेखित प्रावधान ''संविदा नियुक्ति की कालावधि को एक बार में एक वर्ष/शैक्षणिक सत्र तथा अधिकतम तीन वर्ष/शैक्षणिक सत्र के लिए बढ़ाते हुए संविदा नियुक्ति के नवीनकरण के लिए नियुक्ति प्राधिकारी निर्णय लिया जा सकेगा। किसी भी परिस्थिति में अधिकतम तीन वर्ष/शैक्षणिक सत्र से अधिक समयावधि के लिए संविदा नियुक्ति की नवीनकरण नहीं किया जावेगा।'' को विलोपित किया जावे। शेष यथावत रहेगा।

कार्यपरिषद सदस्य श्री कमलाकर सिंह द्वारा भी इस बाबत सहमति व्यक्त की गई कि कार्यपरिषद द्वारा ही विनियम–116 का अनुमोदन कार्यपरिषद की 39वीं बैठक में दिनांक 27.05.2022 में किया गया है तथा विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा उपरोक्त विनियम के अनुसार सहायक प्राध्यापक संविदा एवं व्याख्याता संविदा के पद पर संविदा नियुक्ति हेतु विज्ञापन दिनांक 07.07.2022 एवं शुद्धि पत्र दिनांक 11.07.2022 जारी किये जाने की सूचना कार्यपरिषद की 40वीं बैठक में दिनांक 14.07.2022 में सदस्यों को दिया गया है। चूंकि छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 के अधीन अधिनियमित राजकीय विश्वविद्यालयों में अधिनियम की धारा–40 के प्रावधान अनुसार विनियम बनाकर नियमित/संविदा भर्ती किया जाता रहा है। अतः विनियम–116 के नियम–7 एवं 13 (1) में आवश्यक संशोधन किया जाकर भर्ती प्रक्रिया विज्ञापन एवं शुद्धि पत्र के अनुसार तथा माननीय छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय बिलासपुर में यॉचिकाकर्ताओं द्वारा दायर याचिका क्रमांक WPS 4867/2022 में माननीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 26.07.2022 के अनुसार यथाशीघ्र पूर्ण किया जावे, ताकि संबंधित अध्ययनशालाओं में शैक्षणिक कार्य एवं गतिविधि प्रभावित न हो।

विषय क्रमांक – 4 (विश्वविद्यालय के स्थापना/प्रशासन विभाग का प्रस्ताव)

माननीय सदस्य कार्यपरिषद श्री रेखचंद जैन, विधायक, जगदलपुर एवं श्री चंदन कश्यप, विधायक, नारायणपुर के पत्र दिनांक 03.08.2022 के बिंदु 01 अनुसार विनियम क्रमांक–116 तत्काल प्रभाव से निरस्त करने बाबत्।

06 AUG 2022

विभागिय टीप :–

माननीय सदस्य कार्यपरिषद श्री रेखचंद जैन, विधायक, जगदलपुर एवं श्री चंदन कश्यप, विधायक, नारायणपुर के पत्र दिनांक 03.08.2022 विश्वविद्यालय में प्राप्ति दिनांक 04.08.2022 के बिंदु 01 अनुसारशहीद महेन्द्र कर्मा विश्वविद्यालय की कार्यपरिषद की 39वीं बैठक दिनांक 27 मई 2022 के विषय क्रमांक 18 में उल्लेखित शहीद महेन्द्र कर्मा विश्वविद्यालय, बस्तर, जगदलपुर में रिक्त शैक्षणिक पदों पर (संविदा नियुक्ति) विनियम संबंधी प्रस्ताव को समस्त सदस्यों को बिना पूर्ण संज्ञान/जानकारी में लाये, उनकी लिखित स्वीकृतिं लिये बिना, यह प्रस्ताव पारित किया गया है। इसके साथ ही ''छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (संविदा नियुक्ति) नियम 2012'' के संपूर्ण राज्य में वर्तमान में प्रभावशील होते हुये भी विनियम क्रमांक–116 ''शहीद महेन्द्र कर्मा विश्वविद्यालय, बस्तर, जगदलपुर में रिक्त शैक्षणिक पदों पर (संविदा नियुक्ति) विनियम 2022, जो कि दिनांक 01 जून 2022 से प्रभावशील है, का कोई औचित्य नहीं बनता। अतः छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा–40 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों के उपयोग से कार्यपरिषद द्वारा ''शहीद महेन्द्र कर्मा विश्वविद्यालय, बस्तर, जगदलपुर में रिक्त शैक्षणिक पदों पर (संविदा नियुक्ति) विनियम 2022 को तत्काल प्रभाव से निरस्त किये जाने हेतु प्रस्ताव रखने का अनुरोध किया गया है।

तदनुसार प्रकरण कार्यपरिषद के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

निर्णय :–

विषय क्रमांक–3 में प्रस्तुत प्रस्ताव पर हुई चर्चा अनुसार लिए गए निर्णय अनुसार कार्यवाही किया जावे।

विषय क्रमांक – 5 (विश्वविद्यालय के स्थापना/प्रशासन विभाग का प्रस्ताव)

माननीय सदस्य कार्यपरिषद श्री रेखचंद जैन, विधायक, जगदलपुर एवं श्री चंदन कश्यप, विधायक, नारायणपुर के पत्र दिनांक 03.08.2022 के बिंदु 02 अनुसार सहायक प्राध्यापक (संविदा) हेतु जारी विज्ञापन निरस्त करने बाबत्।

विभागिय टीप :–

माननीय सदस्य कार्यपरिषद श्री रेखचंद जैन, विधायक, जगदलपुर एवं श्री चंदन कश्यप, विधायक, नारायणपुर के पत्र दिनांक 03.08.2022 विश्वविद्यालय में प्राप्ति दिनांक 04.08.2022 के बिंदु 02 अनुसारकार्यपरिषद के माननीय अध्यक्ष महोदय जी की अनुमति से सहायक प्राध्यापकों (संविदा) भर्ती हेतु जारी विज्ञापन क्रमांक 0281/सा.प्रशा./स्थापना/2022, जगदलपुर दिनांक 07.07.2022 एवं शुद्धिपत्र क्रमांक 0289/600/सा.प्रशा./स्थापना/2022, जगदलपुर दिनांक 11.04.2022 की भर्ती प्रक्रिया में छत्तीसगढ़ शासन के आरक्षण/रोस्टर संबंधी शिकायतों एवं अन्य विवादों को ध्यान में रखते हुए, सहायक प्राध्यापकों (संविदा नियुक्ति) की प्रक्रिया पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाते हुये अपरिहार्य कारणों के अंतर्गत उपरोक्त उल्लेखित विज्ञापन निरस्त किये जाने हेतु प्रस्ताव रखने का अनुरोध किया गया है।

तदनुसार प्रकरण कार्यपरिषद के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

0 6 AUG 2022

निर्णय :—

विषय क्रमांक—3 में प्रस्तुत प्रस्ताव हुई चर्चा अनुसार लिए गए निर्णय अनुसार कार्यवाही किया जावे। कुलपति द्वारा समस्त सदस्यों को अवगत कराया गया कि विश्वविद्यालय द्वारा सहायक प्राध्यापकों (संविदा) एवं व्याख्याता (संविदा) भर्ती हेतु जारी विज्ञापन दिनांक 07.07.2022 एवं शुद्धि पत्र दिनांक 11.04.2022 में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग तथा छ.ग.शासन उच्च शिक्षा विभाग के निर्देशानुसार विश्वविद्यालय को एक ईकाई मानकर ही छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी आरक्षण नियम एवं रोस्टर का अक्षरशः पालन किया गया है। चूंकि एम.बी.ए., एम.सी.ए. एवं बी.एड. व्यवसायिक पाठ्यक्रम है और क्रमशः AICTE एवं NCTE से उपरोक्त पाठ्यक्रमों की मान्यता बनाये रखने के लिए नियमित/संविदा शैक्षणिक स्टॉफ की नियुक्ति किया जाना अनिवार्य है। अतः विज्ञापन को निरस्त किया जाना उचित नहीं होगा। श्री कमलाकर सिंह द्वारा विधिक अभिमत प्राप्त कर अभिमत अनुसार कार्यवाही करने का सुझाव दिया गया।

विषय क्रमांक — 6 (विश्वविद्यालय के स्थापना/प्रशासन विभाग का प्रस्ताव)

माननीय सदस्य कार्यपरिषद श्री रेखचंद जैन, विधायक, जगदलपुर एवं श्री चंदन कश्यप, विधायक, नारायणपुर के पत्र दिनांक 03.08.2022 के बिंदु 03 अनुसार सहायक प्राध्यापक (संविदा) की सेवाओं का आगामी 01 वर्ष हेतु नवीनीकरण करने बाबत्।

विभागिय टीप :—

माननीय सदस्य कार्यपरिषद श्री रेखचंद जैन, विधायक, जगदलपुर एवं श्री चंदन कश्यप, विधायक, नारायणपुर के पत्र दिनांक 03.08.2022 विश्वविद्यालय में प्राप्ति दिनांक 04.08.2022 के बिंदु 03 अनुसार''छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (संविदा नियुक्ति) नियम 2012'' के प्रावधानों के अंतर्गत वर्तमान में कार्यरत समस्त सहायक प्राध्यापकों (संविदा) की विभिन्न अध्ययनशालाओं में तत्कालीन आवश्यकताओं (नवीन विद्यार्थियों के प्रवेश एवं अन्य महत्वपूर्ण कार्यो के निर्विघ्न रूप से संचालन हेतु) तथा छात्रहित को ध्यान में रखते हुए समस्त कार्यरत सहायक प्राध्यापकों (संविदा) की सेवाओं का आगामी 01 वर्ष हेतु नवीनीकरण करने का प्रस्ताव रखने का अनुरोध किया गया है।

तदनुसार प्रकरण कार्यपरिषद के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

निर्णय :—

कार्यरत संविदा सहायक प्राध्यापकों के नवीनीकरण के संबंध में छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (संविदा नियुक्ति) नियम 2012' के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए नवीनीकरण हेतु योग्य पाये जाने पर ही नियमानुसार कार्यवाही करें।

विषय क्रमांक — 7 (विश्वविद्यालय के अकादमिक विभाग का प्रस्ताव)

शैक्षणिक सत्र 2022—23 में प्रवेश हेतु विश्वविद्यालय के पोर्टल में छात्र/छात्राओं के ऑनलाईन पंजीयन एवं आवेदन तथा एस.एम.एस. प्रेषित करने के संबंध में अनुबंधित फर्म एम.आई.सी.एस. भोपाल देयक क्रमांक 438 दिनांक 01.08.2022 के भुगतान के संबंध में।

विभागीय टीप :—

शैक्षणिक सत्र 2022—23 में विश्वविद्यालय से संबद्ध समस्त शासकीय एवं अशासकीय महाविद्यालयों एवं विश्वविद्यालय शिक्षण विभाग अन्तर्गत विभिन्न अध्ययनशालाओं में संचालित स्नातक एवं डिप्लोमा पाठ्यक्रमों तथा समस्त स्नातकोत्तर (एम.बी.ए. एवं एम.सी.ए. को छोड़कर), स्नातकोत्तर डिप्लोमा एवं एल.एल.बी. (त्रिवर्षीय विधि स्नातक पाठ्यक्रम) के प्रथम वर्ष/सेमेस्टर में प्रवेश हेतु विश्वविद्यालय के पोर्टल में ऑनलाईन पंजीयन एवं आवेदन की प्रक्रिया दिनांक 16.06.2022 से प्रारंभ की गयी है।

06 AUG 2022

अनुबंधित फर्म एम.आई.सी.एस. भोपाल को विश्वविद्यालय से जारी किये गये कार्यादेश क्रमांक/8093/भण्डार/श.म.क.वि.वि./2021–22 जगदलपुर, दिनांक 31.07.2021 तथा कुलसचिव, शहीद महेन्द्र कर्मा विश्वविद्यालय, बस्तर, जगदलपुर एवं फर्म एम.आई.सी.एस. भोपाल के मध्य हुये अनुबंध दिनांक 13.08.2021 के अनुसार तथा कार्यपरिषद की 39वीं बैठक के कार्यवाही विवरण क्रमांक/392/अका./कार्यपरिषद/2022 जगदलपुर, दिनांक 27.05.2022 के विषय क्रमांक–12 में लिए गये निर्णय अनुसार उक्त अनुबंधित फर्म को सत्र 2021–22 के लिए अनुबंध के शर्तों एवं दरों के अनुरूप ही सत्र 2022–23 के लिए कार्यादेश क्रमांक/5994A/ गोपनीय/श.म.क.वि.वि./2022 जगदलपुर, दिनांक 06.07.2022 जारी किया गया है। दिनांक 16.06.2022 से 31.07.2022 तक विश्वविद्यालय के पोर्टल में सत्र 2022–23 में प्रवेश हेतु ऑनलाईन पंजीयन एवं आवेदन करने संबंधी कार्य गुणवत्ता के साथ सफलतापूर्वक, कुलसचिव एवं सहायक कुलसचिव (अकादमिक) के निर्देशानुसार सम्पादित किया गया है।

दिनांक 16.06.2022 से 31.07.2022 तक प्रवेश हेतु विश्वविद्यालय के पोर्टल में 70,879 छात्र/छात्राओं के ऑनलाईन पंजीयन, ओ.टी.पी./सूचना संबंधित 70,879 एस.एम.एस. के संबंध में संबंधित फर्म द्वारा देयक प्रस्तुत देयक क्रमांक 438 दिनांक 01.08.2022 अनुसार पोर्टल में 70,879 छात्र/छात्राओं के ऑनलाईन पंजीयन हेतु प्रति पंजीयन रूपये **45/-**की दर से राशि रूपये **31,89,555/-** एवं ओ.टी.पी./सूचना संबंधित 70,879 एस.एम.एस. हेतु प्रति एस.एम.एस. रूपये **0.30/-** की दर से राशि रूपये **21,263.70/-** सहित **ICGST @ 18%** राशि रूपये **5,77,947.37/-** कुल राशि रूपये **37,88,766.07/-** अर्थात कुल राशि रूपये **37,88,766/-** (सैतीस लाख अठ्यासी हजार सात सौ छैंसठ रूपये) भुगतान करने की स्वीकृति हेतु प्रकरण कार्यपरिषद के समक्ष प्रस्तुत है।

निर्णय :–

वित्तीय परीक्षणोपरांत भुगतान करने की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गई।

अंत में डॉ. विनोद कुमार पाठक, कुलसचिव एवं पदेन सचिव कार्यपरिषद द्वारा बैठक में सम्मिलित सदस्यों को धन्यावाद ज्ञापित किया गया। माननीय कुलपति महोदय के कार्यकाल इस माह की 29 तारीख को समाप्त होने को ध्यान में रखते हुए समस्त सदस्यों के सुझाव अनुसार कार्यपरिषद की आगामी बैठक दिनांक 26.08.2022 को पूर्वान्ह 11.00 बजे रखे जाने का निर्णय लिया गया है।

कुलपति 6/8/22
शहीद महेन्द्र कर्मा विश्वविद्यालय, बस्तर
जगदलपुर, जिला–बस्तर (छ.ग.)

6/8/2022
कुलसचिव
शहीद महेन्द्र कर्मा विश्वविद्यालय, बस्तर
जगदलपुर, जिला–बस्तर (छ.ग.)

06 AUG 2022